

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एसीएसएम, वीएसएम
(से नि)

राज्यपाल/कुलाधिपति,
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।



राजमवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : E3539 जी०एस०(शिक्षा)/C12-1(II) /2017

देहरादून : दिनांक : 12 जुलाई, 2023

आदेश

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-567/2021 में दिनांक 05.07.2023 को पारित आदेश के क्रम में डा० सुनील कुमार जोशी को कुलपति, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के पद से तत्काल प्रभाव से वियुक्त (Divested) किया जाता है।

एतद्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के सुचारु संचालन के दृष्टिगत नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए अन्तरिम व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 की धारा-11(7) के अन्तर्गत राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में प्र० अरुण कुमार त्रिपाठी, काय चिकित्सा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, गुरुकुल परिसर, हरिद्वार को उनके पद के कार्य दायित्वों के साथ-साथ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

ह०-

ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या : E3539 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/C12-1(II)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को विश्वविद्यालय के नये नियमित कुलपति के चयन प्रक्रिया की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रेषित।
4. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
7. प्र० अरुण कुमार त्रिपाठी, काय चिकित्सा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, गुरुकुल परिसर, हरिद्वार।
8. प्र० सुनील कुमार जोशी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
9. कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० मदीरिया)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।